राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या–392 / 2019

दिनेश कुमार माथुर

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
2. शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
3. निदेशक (।।), पुलिस (वायरलेस), राजस्थान जयपुर।

–प्रत्यार्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 22.08.2019
आदेश की दिनांक : 23.08.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एन एम माथुर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष : शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को पुलिस अधीक्षक (दूरसंचार) के पद पर वर्ष 2007–08 से एवं निदेशक पुलिस (दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। उनका यह भी कथन है कि उक्त पदोन्नति प्रक्रिया निदेशक के पद की एवं पुलिस अधीक्षक के पद की रिक्ति वर्ष 2014–15 से निर्धारित की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी अपीलार्थी को प्रदान किए जावे।

अपील के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

2. अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पुलिस उप अधीक्षक के पद पर वर्ष 1985 में दूरसंचार में हुई थी। संतोषजनक सेवाएं होने पर अपीलार्थी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर वर्ष 1994 में पदोन्नति प्रदान कि गई। आदेश दिनांक 16.11.2005 के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से पुलिस अधीक्षक के पद के लिए अपीलार्थी के नाम का प्रस्ताव किया गया, परन्तु वैयक्तिक कारणों से अपीलार्थी

ने उक्त पदोन्नति को परित्याग कर दिया और श्री झाबेसिंह को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान की गई और डीपीसी द्वारा यह कथन किया गया की एक वर्ष बाद अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार किया जाएगा। जिसके आधार पर अपीलार्थी द्वारा उक्त पदोन्नति का पदत्याग किया गया। नियम–1954 के भाग (V) के तीन में पदोन्नति द्वारा पुलिस अधीक्षक के पद को भरने हेतु नियम एवं मापदण्ड़ दिए गए है, जिसमें वरीयता सह मैरिट आधार पर चयन किए जाने का उल्लेख है और नियम–28 में चयन द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार उक्त नियमों के आधार पर अपीलार्थी का नाम पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया। जबकि अपीलार्थी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर पुलिस अधीक्षक (दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। उनका कथन है कि इस दरम्यान अपीलार्थी को दुर्व्यवहार के आधार पर आरोपित करते हुए चार्जशीट दी गई। जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया। अपीलार्थी की एसीआर वर्ष 2007 से 2014 तक की या तो उत्कृष्ट है या बहुत अच्छी है, मात्र वर्ष 2011 को छोड़कर। अपीलार्थी ने पदोन्नति के संबंध मे विभाग को अभ्यावेदन दिए परन्तु उनका कोई निराकरण नहीं किया गया। उक्त दोनो पद आज भी रिक्त है। अपीलार्थी दिनांक 31.07.2017 से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया, परन्तु अपीलार्थी को उक्त पद पर पदोन्नति नहीं किया गया। अतः अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी को पुलिस अधीक्षक (दूरसंचार) के पद पर वर्ष 2007–08 से एवं निदेशक पुलिस (दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। उनका यहज भी कथन है कि रिक्ति वर्ष 2014–15 से निर्धारित की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ भी अपीलार्थी को प्रदान किए जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने लिखित जवाब प्रस्तुत कर बहस की है कि अधिसूचना दिनांक 05.08.1998 के अनुसार किया भी कर्मचारी के पदोन्नति का अवसर छोड देने वाले कार्मिक के नाम पर पश्चात्वती दो भर्ती वर्षों तक तक पदोन्नति छोडने वाले कार्मिक के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाता है। अपीलार्थी को वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक (दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति किए जाने हेतु प्रस्ताव किया गया था, परन्तु अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति परित्याग किए जाने के कारण से अपीलार्थी को 2 डीपीसी वर्ष (2003–04 एवं 2007–08) में पात्र नहीं माना जा सकता है एवं विभागीय कार्यवाही के प्रकरण दिनांक 07.05.2007 में परिनिन्दा के दण्ड दिनांक 13.08.2009 से

दण्डित होने के कारण वर्ष 2008–09 में अपीलार्थी को पदोन्नति देय नहीं होगी तथा योग्य पाए जाने पर अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 के रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की जा सकती है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज फरमायी जावे।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति पुलिस उप अधीक्षक के पद पर वर्ष 1985 में दूरसंचार में हुई थी एवं अपीलार्थी को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर वर्ष 1994 में पदोन्नति प्रदान की गई। आदेश दिनांक 16.11.2005 के द्वारा पुलिस अधीक्षक के पद के लिए अपीलार्थी के नाम का प्रस्ताव किया गया, परन्तु वैयक्तिक कारणों से अपीलार्थी ने उक्त पदोन्नति को परित्याग कर दिया और श्री झाबेसिह को उक्त पद पर पदोन्नति प्रदान कर दी गई। जहां तक अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2007–08 के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक (दूरसंचार) के पद पर पदोन्नति नहीं दिए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत है कि अधिसूचना दिनांक 05.08.1998 के अनुसार किसी भी कर्मचारी के पदोन्नति का अवसर छोड देने वाले कार्मिक के नाम पर पश्चात्वर्ती दो भर्ती वर्षों तक पदोन्नति छोडने वाले कार्मिक के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया जाता। अपीलार्थी को वर्ष 2002–03 की रिक्तियों के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक (दूरसंचार) के पद पर पदोन्नत किए जाने हेतु प्रस्ताव किया गया, परन्तु अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति परित्याग किए जाने के कारण से अपीलार्थी को दो डीपीसी वर्ष (2003–04 एवं 2007–08) में पात्र नहीं माना गया एवं विभागीय कार्यवाही के प्रकरण दिनांक 07.05.2007 में परिनिन्दा के दण्ड दिनांक 13.08. 2009 से दण्डित होने के कारण वर्ष 2008–09 में अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान नहीं की गई और योग्य पाए जाने पर अपीलार्थी को वर्ष 2014–15 के रिक्त पदों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान किए जाने का जो उल्लेख प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जवाब में किया गया है उससे हम पूर्णरूपेण सहमत है। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील में कोई बल होना प्रकट नहीं होता है। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

6. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र के एतद्वारा खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य